मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पटना शहर में अवस्थित बड़े नालों के निर्माण/जीर्णोद्धार के संबंध में दिनांक–16.12.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग।
2. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. आयुक्त, पटना प्रमंडल के प्रतिनिधि।
5. जिला पदाधिकारी, पटना।
6. प्रबंध निदेशक, बुडको।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना।

पटना शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत बाकरगंज एवं मंदिरी नाला को Cover करके रोड बनाने की योजना के संबंध में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा मार्गदर्शन की माँग विभाग से की गई थी। विदित हो कि पटना शहरी क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न जल–जमाव की समस्या के दौरान ऐसे सुझाव प्राप्त हुए कि पटना शहर स्थित बड़े नालों को Cover करके पथ का निर्माण कराने से जल प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे भविष्य में भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पटना शहर स्थित बड़े नालों के निर्माण/जीर्णोद्धार के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

2. पटना शहर में हुए जल–जमाव की जाँच के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में चर्चा की गई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "शहर के प्रमुख आउटफॉल नालों को अतिक्रमण से मुक्त रखना तथा सतत् बहाव सुनिश्चित करने के लिए सभी नालों का पूरी चौड़ाई में पक्कीकरण करना चाहिए। नाले की चौड़ाई के अनुसार, आवश्यकतानुसार ढकने के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि नाला पक्का एवं खुला हो तो लोहे की जाली से ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ठोस अपशिष्ट नाले में नहीं डाला जा सके"।

3. अतः उक्त के आलोक में सहमति बनी कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना शहर के प्रमुख आउटफॉल नालों का पूरी चौड़ाई में पक्कीकरण कराया जाएगा, किन्तु नाले की चौड़ाई के अनुसार किन नालों को आवश्यकतानुसार ढकना है–इसके संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समीक्षा कर मुख्य सचिव को प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।

4. बादशाही नाला/पईन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा बादशाही नाले में जल प्रवाह निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए बादशाही नाले की उड़ाही कराया जाएगा एवं शहरी क्षेत्र में गहरीकरण, पक्कीकरण एवं उच्चीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। इस दौरान जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नाले की गहराई बढ़ाई भी जाएगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/–
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक–2ब०/सड़क–09–02/2018 92 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 9/1/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/सभी विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/2020
सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग।